

कमलेश केवर पुत्री शंकर सिंह राजपूत बनाम भूमि धारी तहसील

करम मुकदमा

प्रा-यत्र 1364-RA

नं.

8/25

सन्

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुआ |
|---------------|---|--|
| 1-25 | <p>पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण में उभय पक्ष की बहस पूर्व में सुनी गई वकील प्राधी ने अपनी बहस प्रा-पत्र अनुसार करते हुए इस प्रकार से निवेदन किया है कि ग्राम जयसिंह पुरा प-ह-रायती के खाता सं-7 आराजी सं-183 मी. 227/183, किता 2 रकबा 1.2220 है. भूमि व खाता सं-09 आ सं-12,13,14 किता 3 रकबा 0.9290 है. भूमि एवं खाता सं-12 आ सं-130,36,99, रकबा 0.7680 है. एवं खाता सं-13,14,15,92,103 में प्राधीया का नाम राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी में कमला केवर पुत्री शंकर सिंह राजपूत के रूप में अंकित है जो विरासत के नामान्तरण खोलते समय पटवारी एवं राजस्व कर्मचारियों की गलती से बिना तथ्यों की जानकारी किये "कमलेश केवर पुत्री शंकर सिंह राजपूत के बजाय गलती से कमला केवर पुत्री शंकर सिंह राजपूत अंकित कर दिया जो एक विधिक त्रुटि है। जिसे प्रा-पत्र स्वीकार करमाया जाकर नाम सुधारा जावे। इस पर पैरोकार तहसीलदार ने अपनी बहस में इस प्रकार से निवेदन किया है कि प्रकरण में प्रस्तुत जवाब प्रा-पत्र ही हमारी बहस है। प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी जाने के पश्चात् प्रकरण व प्रकरण में सबूत दस्तावेजों एवं जवाब प्रा-पत्र का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत जमाबन्दीयों का अवलोकन किया गया सभी जमाबन्दीयों में प्राधीया का नाम कमला केवर पुत्री शंकर सिंह अंकित है। एवं प्रकरण में प्राधीया द्वारा प्रस्तुत नकल आधार कार्ड, मत दाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, में कमलेश केवर पति कुलदिय सिंह नि. छाजों का खेडा करिया भीलवाडा दर्ज अंकित है। एवं प्रकरण में प्रस्तुत जवाब प्रा-पत्र के अनुसार प्राधीया का बोलता नाम कमला केवर होने से नामान्तरण</p> | |

खोलने के आवेदन में नाम कमला कंवर अंकित
किये जाने से उसी अनुसार नामान्तरण में नाम
अंकित किया गया एवं जाँच के मौका पट्टी बनाया
गया जिसमें प्राथीया का बोलता नाम कमला कंवर
व रेकार्ड में कमलेश कंवर होना जाहिर आया है।
प्रकरण में अवलोकन करने पर राजस्व रिकार्ड
में प्राथीया नाम कमला कंवर गलत अंकित किया
जाना प्रतीत होता है। जिसे सुधारा जाना चाय
संगत होगा।

अतः प्राथीया का प्रा. पत्र अ-घा 1364-RA
का स्वीकार किया जाता है। ग्राम जय सिंह पुरा
प-ह. रायती की राजस्व जमाबन्दी सवत 2078 के
खाता स 7, 9, 12, 13, 14, 15, 92, 103 के राजस्व
रिकार्ड में प्राथीया का नाम कमला कंवर के स्थान
पर कमलेश कंवर उर्फ कमला कंवर पिता शंकर
सिंह राजपूत किया जाने का आदेश दिया जाता
है। आदेश कि प्रति तहसीलदार बेंगूर को पालनार्थ
दि जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर
से कम हो।